न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–34/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र ताराचन्द जाति माली, निवासी ग्राम तालवृक्ष मुण्डावरा तहसील थानागाजी जिला अलवर
..... अपीलांट

बनाम

1. केदार पुत्र श्री रामजीलाल जाति माली निवासी धोबी गट्टा अलवर राज0
.....असल रेस्पोडेण्टस
2. जम्बू पुत्र श्री रामजीलाल जाति माली,
3. बबली पुत्र श्री रामजीलाल जाति माली,
4. पदम पुत्र श्री रामजीलाल जाति माली,
5. ओमी पुत्र श्री रामजीलाल जाति माली,
6. गुड्डू पुत्र श्री रामजीलाल जाति माली निवासीयान धोबी गटटा अलवर राज0
7. पूनम यादव पुत्री रामसिंह यादव निवासी ग्राम कोसली जिला रेवाडी हरियाणा
8. श्रीमती रेशमा देवी पत्नी रमेश कुमार यादव निवासी रेशमगंज, शिवकॉलोनी, नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा,
9. काला पुत्र ताराचन्द जाति माली,
10. मु0 दुर्गा पत्नी स्व0 खैराती,
11. बिमला पत्नी स्व0 भवानी,
12. विनोद पुत्र श्री भवानी,
13. दिनेश पुत्र श्री भवानी–नाबालिग
14. गुडिया पुत्री भवानी–नाबालिग
15. राधा पुत्री भवानी–नाबालिग जरिये सरपरस्त बिमला माता स्वयं,
16. कमला देवी पुत्री खैराती,
17. धानी देवी पुत्री खैराती,
18. तस्सी देवी पुत्री खैराती,
19. चन्दा देवी पुत्री खैराती,
20. चैचा देवी पुत्री खैराती, जातियान माली निवासीयान धोबी गटटा अलवर
21. कन्हैयालाल पुत्र ताराचन्द माली,
22. नेतराम पुत्र ताराचन्द जाति माली,
23. जगदीश पुत्र ताराचन्द जाति माली, निवासीयान धोबी गटटा अलवर राज0
.....तरतीबी रेस्पोडेण्टान
24. राजस्थान सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार, थानागाजी जिला अलवर राज0
25. उप पंजीयक थानागाजी जिला अलवर

.....तकमीली रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री सतीश मित्तल, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री भीमसेन विजय, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 01
3. श्री रामेश्वर दयाल, अभिभाषक तर0 रेस्पो0 संख्या 07 व 08।

::: निर्णय :::

दिनांक :–25.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी में वादी असल रेस्पो0 द्वारा एक दावा बउनवानी केदार बनाम रामजीलाल बगैरा बाबत घोषणात्मक एवं हुक्म्ईम्तनाई दवामी इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि हाल आराजी खसरा नंबर 1829/1911 रकबा 25 बीघा वाके ग्राम मुण्डावरा तहसील थानागाजी जिला अलवर वादी की दादालाई की आराजी है, जिसमें वादी का 1/36 हिस्सा है और वादी मौके पर अपने हिस्से पर काबिज रहकर कार्य काश्तकारी करता आ रहा है तथा अपने दादा ताराचन्द के परिवार का शजरा अंकित करते हुये यह भी कथन किये कि विवादित आराजी में वादी के पिता 1/6 हिस्सा है तथा विवादित आराजी में वादी का 1/36 हिस्सा है। वादी के पिता रामजीलाल ने दो शादी की थी। पहली पत्नी रामप्यारी से वादी पैदा हुई एवं दूसरी पत्नी बसन्ती से प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 पैदा हुये। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 वादी को उसका हिस्सा नही देना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के प्रभाव में है तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 वादी को मुश्तर्का में कार्य काश्त नही करने देते है। वादी को उसके हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। बाद दायरी दावा असल प्रतिवादी संख्या 01 ने विवादित आराजी को बिना तकसीम कराये, स्थगन आदेश के बावजूद राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का गलत फायदा उठाते हुये दिनांक 25.09.2006 को पूनम यादव व रेशमा यादव को विवादित आराजी को बेचान कर बयनामा उनके हक में तस्दीक करा दिया है, जो बयनामा वादी के हकूकों के मुकाबिले बातिल बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद डिक्री करते हुये अपना निर्णय दिनांक 18.01.2018 को पारित किया। जिस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा उक्त दावा अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्यों के साथ पेश किया था। उक्त विवादित आराजी वादी के पिता रामजीलाल की खरीदशुदा आराजी है तथा वादी रेस्पो0 का आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है। आराजी पर सिर्फ प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 का ही कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी पर वादी का अधिकार ही नही था तो बेदखल करने का प्रश्न ही नही उठता है। विवादित आराजी से वास्तव में वादी रेस्पो0 में कोई हक हिस्सा ही नही बनता है क्योंकि विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा मिन अपीलांट

रामजीलाल व उसके भाईयों तर0 रेस्पो0 कल्याण, खैराती, कन्हैया, नेतराम, जगदीश ने जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 21.06.1985 के श्री रामजीलाल पुत्र बालसहाय ब्राहमण निवासी नारायणपुर से खरीदा था, जिसका इंतकाल संख्या 514 दर्ज मंजूर होकर कागजात माल में अमल किया गया। इस तरह विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा में मिन अपीलांट का केवल मात्र 1/6 हिस्सा अर्थात कुल आराजी में 1/12 हिस्सा था और अपीलांट की निजी खरीदशुदा आराजी किसी भी तरह से वादी रेस्पो0 की पैतृक आराजी नही हो सकती है और अपीलांट के जीवनकाल में वादी रेस्पो0, जो कि अपीलांट का पुत्र है, कोई हिस्से की न तो मांग कर सकता है न प्राप्त कर सकता है। विवादित आराजी में शेष 1/2 हिस्सा अपीलांट के पिता श्री ताराचन्द का है जो कि उन्होंने चिरंजीलाल से रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा खरीदा, जिसका इन्तकाल बैय संख्या 513 दर्ज मंजूर हुआ। जिस 1/2 हिस्सा में मिन अपीलांट का मात्र 1/7 हिस्सा बनता है, जिसमें भी अपीलांट के जीवित रहते असल रेस्पो0 का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। विकल्प में यदि अपीलांट के पिता श्री ताराचन्द की विरासत से उसके 1/2 हिस्सा में अपीलांट को प्राप्त 1/6 हिस्सा अर्थात कुल आराजी का 1/12 हिस्सा में से वादी रेस्पो0 का हिस्सा माना भी जावे तो उसका मात्र 1/12 हिस्से में से 1/7 हिस्सा अर्थात कुल आराजी मुतनाजा में मात्र 1/84 हिस्सा ही बनता है। किन्तु तहत अदालत ने वादी रेस्पो0 को 1/36 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय में तकसीम की कोई डिक्री भी पारित नही की है। तहत अदालत के समक्ष विवादित आराजी सालिम वादी रेस्पो0 की पुश्तैनी बुजुर्गान की आराजी होने की नाम मात्र भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। इन्तकाल विरासत संख्या 889 प्रदर्श 03 जो पेश किया गया, जो इन्तकाल ताराचन्द की विरासत का है तथा ताराचन्द का मात्र 1/2 हिस्सा था। अर्थात स्व0 ताराचन्द विवादित आराजी सालिम का न तो खरीदार था न खातेदार काश्तकार था।तहत अदालत ने निर्णय पेज संख्या 06 के आखिर में अंकित किया है कि सबूत में अन्य कोई साक्ष्य नही आये कि संपत्ति पैतृक है इसके बावजूद किस आधार पर वादी रेस्पो0 का 1/36 हिस्सा विवादित आराजी में मानकर उसे खातेदार घोषित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि हाल आराजी खसरा नंबर 1829/1911 रकबा 25 बीघा वाके ग्राम मुण्डावरा तहसील थानागाजी जिला अलवर वादी की दादालाई की आराजी है, जिसमें वादी का 1/36 हिस्सा है और वादी मौके पर अपने हिस्से पर काबिज रहकर कार्य काश्तकारी करता आ रहा है तथा अपने दादा ताराचन्द के परिवार का शजरा अंकित करते हुये यह भी कथन किये कि विवादित आराजी में वादी के पिता 1/6 हिस्सा है तथा विवादित आराजी में वादी का 1/36 हिस्सा है। वादी के पिता रामजीलाल ने दो शादी की थी। पहली पत्नी रामप्यारी से वादी पैदा हुई एवं दूसरी पत्नी बसन्ती से प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 पैदा हुये। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 वादी को उसका हिस्सा नही देना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 के प्रभाव में है तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 वादी को मुश्तर्का में कार्य काश्त नही करने देते है। अधिवक्ता रेस्पो0 01 ने आगे यह भी कथन किया कि प्रतिवादी ने न तो कोई दस्तावेज पेश किये न ही साक्ष्य करवाई। विरासत का इंतकाल प्रदर्श–03 व जमाबंदी प्रदर्श–05 से भी साबित है कि आराजी पुश्तैनी है। अपील में तहत अदालत द्वारा विधि के परिपेक्ष्य में सही निर्णय पारित किया है, अपील

अपीलांट खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की–

1990 आरआरडी 41, 1998 आरआरडी 391, एआईआर 1971 एससी 786, 2018(1) आरडबल्यू 826.

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। तहत अदालत विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2018 का अवलोकन किया।

अपील मीमो के साथ ग्राम पंचायत मुण्डावरा के दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 593 व 594 जो कि प्रमाणित प्रतियां हैं, संलग्न हैं। नामान्तकरण संख्या 593 में चिरंजीलाल पुत्र कन्हैया ब्राहमण निवासी नारायणपुर खसरा नंबर 1820/1911 रकबा 25 बीघा का 1/2 हिस्सा ताराचंद पुत्र बुद्धराम माली को बेचे जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 594 में खसरा नंबर 1820/1911 रकबा 25 बीघा का 1/2 हिस्सा रामजीलाल पुत्र बालासहाय ब्राहमण निवासी नारायणपुर द्वारा काल्या, खैराती, कन्हैयालाल, नेतराम, जगदीश, रामजीलाल पि. ताराचन्द माली को विक्रय किये जाने का उल्लेख है।

खसरा नंबर 1820/1911 में 1/2 हिस्सा नामान्तकरण संख्या 594 जो कि रामजीलाल पुत्र बालासहाय ब्राहमण निवासी नारायणपुर द्वारा काल्या, खैराती, कन्हैया, नेतराम, रामजीलाल, जगदीश पि. ताराचन्द द्वारा क्रय किया गया है, इस आराजी में असल रेस्पो0 केदार पुत्र रामजीलाल का कोई हक हकूक निहित नही है। इस प्रकार यह आराजी अपीलांट द्वारा क्रय की गई भूमि होने से पैतृक भूमि नही है। असल रेस्पो0 का केवल नामान्तकरण संख्या 593 आराजी का 1/2 हिस्सा में से, जो कि ताराचंद पुत्र बुद्धराम माली द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र चिरंजीलाल पुत्र कन्हैया ब्राहमण निवासी नारायणपुर द्वारा क्रय किया गया है वह पैतृक संपत्ति है, इसमें केदार पुत्र रामजीलाल का हिस्सा केवल 1/49 बनता है।

रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं क्योंकि विवादित आराजीयात का 1/2 हिस्सा अपीलांट की स्वअर्जित संपत्ति है।

इस प्रकार तहत अदालत द्वारा आराजी खसरा नंबर 1820/1911 रकबा 25 बीघा को वादी के सापेक्ष में संपूर्ण आराजी को पैतृक हिस्सा मानकर संपूर्ण हिस्सा में 1/36 हिस्सा का काश्तकार घोषित किया है। तहत न्यायालय द्वारा इस प्रकार बिना संपूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये हिस्सा गणना करने में एक विधिक त्रुटि कारित की गई है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2018 खारिज किया जाता है। तद्नुसार पर्चा–डिक्री जारी की हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/2/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर